राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11560/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
वी एस सांखला संस्कृत कॉलेज के पास, मुकाम पोस्ट, कालाडेरा जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव वित (नियम अनुभाग) शासन सचिवालय, जयपुर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेन्द्र सिंह भूकर, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 7-11-16 संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) को प्रस्तुत कर उद्योग (ग्रुप-1) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 7-11-16 के साथ वित्त विभाग की आई.डी. दिनांक 2-8-16 की संलग्न टिप्पणी में उल्लेखित थर्ड ए.सी.पी. के प्रावधानानुसार नियम 20 आर.सी.एस. (आर.पी.)/रूल्स् 2008 सपठित मेमोरेन्डम दिनांक 31-12-2009 की प्रमाणित सूचना एवं कार्यालय टिप्पणी की पत्रावली प. 10(9) उद्योग के पैरा नं0 1 से 40 पर की गई कार्यालय टिप्पणीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 28-12-16 के द्वारा बिन्दु संख्या 1 के संबंध में सूचना प्रदान करने हेतु 33 पृष्ठीय सूचना के लिए 66/- रू0 राजकोष में जमा करवाने के लिए अवगत करवाया गया था एवं बिन्दु संख्या 2 के संबंध में स्पष्ट विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया था कि संबंधित सूचना उद्योग विभाग से संबंधित होने के कारण उन्हें अन्तरित की जारही है। यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त प्रेषित विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम अपील संख्या 50/2016 निर्णय दिनांक 13-1-17 से खारिज कर दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 13-12-17 प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की है, से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को सूचना का आवेदन 7-

11-16 दिनांक 5-2-16 को प्राप्त हुआ था, के संबंध में अपना विनिश्चय अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 7(1) के तहत प्रावधित समय सीमा में ही पत्र दिनांक 8-12-16 से प्रेषित कर दिया गया था तथा बिन्दु संख्या 2 के क्रम में सूचना का संबंध उद्योग (ग्रुप-1) विभाग से होने के कारण उन्हें अन्तरित कर दिया गया।

7. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अधिनियम-2005 की धारा 19(8)(ए)(।।) के तहतवरिष्ठ उप शाासनसचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में उनके आवेदन के बिन्दु संख्या 2, जो कि उन्हें वित्त (नियम) विभाग द्वारा अन्तरित किया गया था, के संबंध में अपना स्पष्ट एवं सटीक विनिश्चय/सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ उप शाासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भी प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त